




फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फारस्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
 राज सिंह बनाम वजीर सिंह व अन्य  
 प्रकरण संख्या 2024 / 088

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
26.12.2024	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 08 जनवरी, 2025 को पेश हो. <i>xx</i></p> <p>08.01.25 अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं उपर आकर राजीनामा भंग अपने-240000 पत्र की कोर्टोफिसि प्रस्तुत की राजीनामा के तन्त्रानुसार गरी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा दो-पक्षी वकीली पध्दत वकी अधिवक्ता की संजय जनवेजा एवं प्रतिवादीगण की पक्षों पर निर्गम अधिवक्ता की कुलदी 240000 की राजीनामा को निलंबन शासन पत्रावली अन्तर्गत पत्रावली वकी वध्दत/प्रश्न 7 राजप पत्रावली दिनांक 15.01.25 को पेश हो <i>xx</i></p> <p>15/01/25 अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त राजपत्रोकेट को मुदाकिन राजीनामा को कोर्टोफिसि सिमि जावरी । निरुद्ध सिमि प्रुद्ध को निरुद्ध शासन राजपत्रावली अधिवक्ता वकी 240000 मुदाकिन सिमि प्रुद्ध पत्रावली पत्रावली वकी वकी शासन प्रुद्ध प्रुद्ध कोर्टोफिसि वकी वकी सिमि प्रुद्ध वकी वकी प्रुद्ध <i>xx</i></p>	<p>राज सिंह  <i>Jalpa me</i>  <i>8/1/2025</i>                  वजीर सिंह    <i>Rajendra</i>                  लज्जत सिंह  <i>Jalpa me</i>    </p>

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- स्वाति गुप्ता, R.A.S

वाद संख्या 88/2024

अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर  
.....वादी

ब नाम

बजीर सिंह पुत्र श्री चनन सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीमती नसीब कौर पत्नी श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व  
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

लखा सिंह पुत्र श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

जगतार सिंह पुत्र श्री मल सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री संजय जनवेजा  
श्री कुलदीप कुमार  
पैरोकार राज

(अधिवक्ता वादी )  
(प्रति. संख्या 1 से 4 )  
(प्रतिवादी-5)

दिनांक 15 जनवरी 2025

-निर्णय-

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी के दादा श्री मोहन सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह के नाम  
वाके चक 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50 के मुरब्बा नम्बर 1  
की कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है वादी के दादा मोहन  
सिंह का देहान्त हो चुका है। जिनके वादी एवं प्रतिवादीगण विधिक वारिसान हैं। वादी के दादा ने  
अपने जीवन काल में वादी व प्रतिवादीगण की पारस्परिक सहमति से घरू बंटवारा अनुसार उक्त  
भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को दे दी थी तथा कब्जा भी उसी समय संभलवा दिया था।  
तब से वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। यह  
कि वादी के दादा ने वादी व प्रतिवादीगण से कहा हुआ था कि वह घरू बंटवारानामा अनुसार  
उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देगा, मगर  
दुर्भाग्यवश घरू बंटवारा के कुछ समय पश्चात वादी के दादा मोहन सिंह का देहान्त हो गया।  
साधिकार काबिज चले आ रहे हैं, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा भी वादी व प्रतिवादी संख्या  
3 व 4 को यह आश्वासन दिया हुआ है, कि तुम अपने रकबा में काश्त करते रहो, जब तुम  
आहोगे, उक्त भूमि तुम्हारे नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देंगे। इस विश्वास पर  
वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने उक्त रकबा में काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाए हैं  
तथा अब रकबा कीमती हो चुका है। इस कारण प्रतिवादीगण उक्त भूमि का अंकन सहमति  
है तथा वादी द्वारा बार बार तकाजा करने के बावजूद प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ रहा  
से वादी के पक्ष में करवाने में आना कानी करते रहे। दिनांक 01.12.2022 को वादी ने अपने  
पारिवारिक रिश्तेदारों को साथ लेकर उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम करवाने  
के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से कहा तो साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। उक्त  
हालातों में वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर घोषणा करवाने का  
अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 आज उपस्थित नहीं होने के कारण  
कारण उन्हें औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया कि चक 15  
की छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50 के मुरब्बा नम्बर 1 की कुल 3.162  
हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि जो मृतक मोहन सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह पि0 श्री मल सिंह  
का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 राज सिंह, लखा सिंह व जगतार सिंह पि0 श्री मल सिंह  
.....2...

श्रीगंगानगर कलेक्टर एवं  
पीठासीन अधिकारी (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जटसिख सा0 सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर खातेदार किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में से मोहन सिंह का नाम कलमजन कर उक्त रकबा प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे। वाद के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 15 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर, संलग्न कर प्रस्तुत की गई। दिनांक 08.01.2025 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम किया। तत्पश्चात दिनांक 29.10.2024 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 10 ता 12 प्रतिवादी संख्या 13 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी ता 8 व 10 ता 12 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दि 29.10.2024 प्रस्तुत किया। शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त श्री कुलदीप कुमार के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान प्रमाणों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। साथ ही फार्म संख्या 3 के साथ श्री मोहन सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा की स्वप्रमाणित फोटोप्रति, मृतक श्री मोहन सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा की स्वप्रमाणित फोटोप्रति, मृतक श्री मल सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा की स्वप्रमाणित फोटोप्रति, मृतक श्री मल सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा की स्वप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न कर प्रस्तुत की। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 08.01.2025, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 15 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के आधार पर एवम् राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

### आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 15 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 50 के मुख्बा नम्बर 1 की कुल 3.162 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि जो मृतक मोहन सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह के नाम से दर्ज है, का राज सिंह, लखा सिंह व जगतार सिंह पि0 श्री मल सिंह जाति जटसिख सा0 सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में से मोहन सिंह का नाम कलमजन कर उक्त रकबा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता  
(आर. ए. एस.)  
सहायक कलक्टर एवं  
कार्यालयिक दफ्तरीयक  
श्रीगंगानगर  
(फारस्ट डेप्ट) श्रीगंगानगर

